

24.9.18

पदावली कोट विम्व आमलीगठ पर गेश/प्राथो व विपसीगठ उपरिपत कुमपपश को बलन सुनी गई प्राथो

का वापन ६ वि, ग्राम रूपालिया में रिपत आराजी नम्बर 465, 468, 469, 470, 471, 576, 187, 198, 199, किला 9 शवावा 35 बीघा 16 किरवा में से 46 हिस्सा अर्थात 5 बीघा 19 किरवा तथा आराजी नम्बर 486, 472, 600, 602, 837/473 कुल किला 05 कुल शवावा 3.06 किरवा में से 12 हिस्सा जिसमें आराजी नम्बर 470/1, 471/2, 9.00.10 किरवा किला 02 शवावा 1.19.10, आ. न 138/1, ~~शवावा~~ आ. शवावा 0.06.15 बीघा आ. न 139/1, शवावा 3.11.10 बीघा कुल किला 02 शवावा 3.13.5 बीघा जो पत्थाफ नम्बर 81 वे, शवावा में आरिपत कोट प्रत्थाफ वे दाचल, शवावा 20।

गुणामपाम



मेशल

काको

रती


प्रतिवादी श. ०। श्री भैरु लाल
 देवघान कलम बंद किए गए अपने
 बघानों में बताया कि मैंने श्यामलाल
 पिता भैरु लाल जाट नि. रूपालिपा)
 ग्राम रूपालिपा के अ. न. १३९११, १३९११,
 बिला ०२ ख. ब. ३.१४.०५ बीघा भूमि
 एवं अ. न. ५७०११, ५७११२ बिला ०२
 ख. ब. १.१३.१६ बीघा के बारे में जैसे
 किसी प्रकार का इकरार नहीं है, मैंने
 जमीन जमात्नाय पिता गोवर्धन
 चौहान नि. हमीरगढ़ के ५.० बीघा
 भूमेवाँ बघानु विद्या जी से ही है,
 पार्थी श्यामलाल जो एग्जिस्ट पेश
 किया गया जो गलत है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज।
 उभयपक्षों के बहस व विपरीत सुनना
 एवं बघानों का अवलोकन किया
 गया।

पार्थी द्वारा अपील में कोर्ट द्वारा
 दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किए पार्थी
 की अपील खारिज की जाती है।

आज दिनांक २५.५.२०१८ कोर्ट के मध्य
 आमलोगद में निर्णय से अंतिम
 सुनना गया।

पत्रावली फंशाल शुमार डाक्टर
 जम्बर से काम है।


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 हमीरगढ़